जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 17.10.2024**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत बिडौली चैक पोस्ट पर जिला पंचायत शामली का परिवहन शुल्क का ठेका लेकर शुल्क वसूलने वाले कर्मियो के ऊपर जाने से मारने की नियत से हमला करने व मारपीट करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 17.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना क्षेत्रान्तर्गत बिडौली चैक पोस्टल जिला पंचायत शामली का परिवहन शुल्क का ठेका लेकर शुल्क वसूलने वाले कर्मियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त द्वारा थाना परिसर में आकर आत्मसमर्पण किया गया है। अभियुक्त के आत्मसमर्पण किये जाने के उपरांत नियमानुसार हिरासत में लेकर थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना से सम्बन्धित अभियुक्त अंशुल को दिनाँक 07.09.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

ज्ञात हो कि दिनांक 22.08.2024 को वादी श्री नाथीराम पुत्र सुल्तान सिंह ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली द्वारा जिला पंचायत शामली का परिवहन शुल्क का ठेका लेकर शुल्क वसूलने वाले कर्मियो के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर गम्भीर रुप से घायल करने के संबंध में थाना झिंझाना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.दीपक पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम बिशनपुरा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा महिला से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 17.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा महिला से दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 14.10.2024 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा पीड़िता का दुष्कर्म कर वीडियो बना लेने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर तहरीर दी थी। पीडिता की तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थानाभवन को निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.राहुल पुत्र भोपाल निवासी ग्राम तितरवाड़ा थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 17.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.इसराइल पुत्र रशीद निवासी ग्राम ग्राम काकौर थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 17.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत युवती को बहला फुसलाकर ले जाने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 16.10.2024 को थाना कैराना पर नामजद तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.जावेद पुत्र मुर्सलीन निवासी ग्राम नंगला राई थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध छुरा बरामदः-

आज दिनांक 17.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को चोरी की मोटरसाइकिल व एक अवैध छुरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा मोटर साईकिल को जनपद पानीपत हरियाणा से चोरी करना बताया गया है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.विकास पुत्र राममेहर सिंह निवासी ग्राम ड़हार थाना इसराना जनपद पानीपत हरियाणा।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-</u>

दिनांक 16.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.लोकेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम सांपला थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 17.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.जमशेद पुत्र साखी निवासी ग्राम झाडवन थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।

2.तारिक पुत्र आबिद हसन निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली।

3.धर्मेन्द्र पुत्र नवाब निवासी ग्राम छछरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>जनपद शामली में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के बचाव हेतु आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गयाः-</u>

पुलिस अधीक्षक जनपद शामली श्री राम सेवक गौतम के निर्देशन में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण के बचाव हेतु आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया । आंतरिक परिवाद समिति का उद्वेश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले लैगिंक उत्पीड़न के बचाव, सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास व त्वरित कार्यवाही हेतु किया गया है । जनपद शामली से पुलिस उपाधीक्षक श्रीमती श्रेष्ठा ठाकुर को समिति का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है । इसके अतिरिक्त समिति के सदस्य के रुप में निरीक्षक श्रीमती निधि चौधरी, उ0नि0 लिपिक श्रीमती बब्ली रानी, म0है0का0 नीतू शर्मा, है0का0 नितिन कुमार व चिकित्सक डा0 नीलम शुक्ला को नियुक्त किया गया है । महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर आने वाली समस्या/शिकायत के त्वरित निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय जनपद शामली में उपरोक्त समिति के सदस्यों से सम्पर्क कर अपनी शिकायत व समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराया जा सकता है ।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>